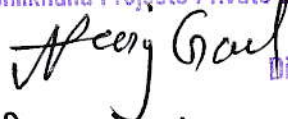


संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 12.10.2020 को जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग, एन0एच0-30 (पुराना एन0एच0-24), किमी0 267-268 में मध्य, चैनेज 267.640, ग्राम गौसगंज सराय, तहसील फरीदपुर पर नियो स्टार रियेल्टी प्रा0 लि0 एवं रोहिलखण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे आवासीय कॉलोनी ओम रेसिडेन्सी के सम्पर्क में प्रभावित 0.4368 हे0 संरक्षित वन भूमि का निरीक्षण प्रस्तावक विभाग के श्री नीरज गोयल, डॉयरेक्टर, नियो स्टार रियेल्टी प्रा0 लि0 एवं रोहिलखण्ड प्रोजेक्ट्स प्रा0 लि0, एवं श्री भारत लाल, प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली द्वारा किया गया। जिसमें जनपद बरेली में संरक्षित वन भूमि 0.4368 हे0 प्रभावित हो रही है एवं 53 वृक्षों का पातन निहित है।

निरीक्षण में पाया गया कि प्रभावित क्षेत्र में पुरातात्विक महत्व/हेरीटेज स्थल/रक्षा संस्थान अथवा महत्वपूर्ण स्मारक स्थल नहीं है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि कोई दुर्लभ / संकटापन्न एवं कोई विशिष्ट पादप अथवा जीव प्रजाति नहीं पायी जाती है। प्रस्तावित कार्य हेतु संरक्षित वन भूमि की मॉग न्यूनतम एवं अपरिहार्य है एवं इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। प्रस्तावक द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन किया गया है।

Neostar Realty Private Limited
Rohilkhand Projects Private Limited


Director

(नीरज गोयल)

डॉयरेक्टर

नियो स्टार रियेल्टी प्रा0 लि0


(भारत लाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
बरेली।


क्षेत्रीय वनाधिकारी
फरीदपुर रेंज


उप प्रभागीय वनाधिकारी (शौवला)
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली